सं0 सं0–टी–3/भवन–62/2011–1931/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक–24/08/2018

विषयः– श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णियाँ के कैम्पस में विद्युत संबंध स्थापित करने हेतु कुल राशि 49,513.00 (उनचास हजार पाँच सौ तेरह) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णियाँ के कैम्पस में विद्युत संबंध स्थापित करने हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णियाँ के पत्रांक–90, दिनांक–18–06–18 द्वारा कुल राशि 49,513.00 (उनचास हजार पाँच सौ तेरह) रू० मात्र का प्राप्त हुआ है। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल राशि 49,513.00 (उनचास हजार पाँच सौ तेरह) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष–0101–नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड–26–2230031010101 के विषय शीर्ष–0101.13.01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णियाँ होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण–पक्ष) बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्णियाँ से की जायेगी।

5– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–टी–3/भवन–62/2011 के पृ0–32/ टि0 पर प्राप्त है।

6– प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

23/8/18

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–62/2011–1931 /प ट ना, दिनांक–24/08/2018

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/8/18

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक– टी–3/भवन–62/2011–1931 /प ट ना, दिनांक–24/08/2018

प्रतिलिपिः–आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल, पूर्णियाँ/प्राचार्य, महिला औ0 प्र0 संस्थान, पूर्णियाँ/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/8/18

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग